न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी सी. आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 37/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

आवास फाईनेसियर्स लिमिटेड (जो पूर्व में ए. यू. हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यावसायिक कार्यालय 201–202, 2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर–302020।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. सुरेश शर्मा पुत्र शंकर लाल, निवासी वार्ड नम्बर 07, मौहल्ला नायकान, कोर्ट के पीछे, जिला सीकर– 332001 राजस्थान हाल आबाद फ्लैट नम्बर 305, तृतीय फ्लोर, शगुन रेजिडेन्सी, वार्ड नम्बर 34 पुराना 8 नया, डोलिया काबास, बजाज भवन के पीछे, सीकर– 332001।
2. शारदा शर्मा पत्नी सुरेश शर्मा, निवासी वार्ड नम्बर 7, नागेश्वर बगीची के पास, शंकर फोटो स्टूडियो वाले का मकान, सीकर– 332001 राजस्थान।
3. नरेश शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा, निवासी वार्ड नम्बर 7, नागेश्वर बगीची के पास, सीकर– 332001 राजस्थान।

जमानती/अप्रार्थीगण

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

निर्णय

निर्णय दिनांक: 22 अगस्त, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **विजय सिंह तंवर** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **सुरेश शर्मा, शारदा शर्मा, नरेश शर्मा** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **सुरेश शर्मा पुत्र शंकर लाल जाति ब्राहम्ण की सम्पति जो कस्बा सीकर में शगुन रेजिडेन्सी में तृतीय मंजिल पर अवस्थित एक आवासीय फ्लैट संख्या 305 बिना छत के वाकै वार्ड नम्बर 34 पुराना, 8 नया, मौहल्ला डोलिया का बास,**

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

बजाज भवन के पीछे, सीकर में है तथा जिसका क्षैत्रफल 1156.78 वर्गफीट/128.53 वर्गगज/107.46 वर्गमीटर है तथा जिसके उत्तर में फ्लैट नम्बर 301, दक्षिण में ऑपन लैण्ड/ऑपन टू स्काई, पूर्व में कोरीडोर 6 फिट 4.5 इंच चौड़ी व फ्लैट नम्बर 304, पश्चिम में ऑपन लैण्ड/ऑपन टू स्काई स्थित हैं, को बंधक रखकर दिनांक 08.11.2015 को 15,00,000/—रूपये (अक्षरे रूपये पन्द्रह लाख) व 5,00,000/—रूपये (अक्षरे रूपये पांच लाख) कुल 20,00,000/— रूपये (अक्षरे रूपये बीस लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 02.05.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 02.05.2019 को रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **सुरेश शर्मा, शारदा शर्मा, नरेश शर्मा** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **सुरेश शर्मा पुत्र शंकर लाल जाति ब्राहम्ण की सम्पति जो कस्बा सीकर में शगुन रेजिडेन्सी में तृतीय मंजिल पर अवस्थित एक आवासीय फ्लैट संख्या 305 बिना छत के वाकै वार्ड नम्बर 34 पुराना, 8 नया, मौहल्ला डोलिया का बास, बजाज भवन के पीछे, सीकर में है तथा जिसका क्षैत्रफल 1156.78 वर्गफीट/128.53 वर्गगज/107.46 वर्गमीटर है तथा जिसके उत्तर में फ्लैट नम्बर 301, दक्षिण में ऑपन लैण्ड/ऑपन टू स्काई, पूर्व में कोरीडोर 6 फिट 4.5 इंच चौड़ी व फ्लैट नम्बर 304, पश्चिम में ऑपन**

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

लैण्ड/ऑपन टू स्काई स्थित हैं, का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस इमदाद प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर, प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 22 **अगस्त, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी. आर. मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner